

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 177]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 24, 1975 ज्येष्ठ 3, 1897

No. 177]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 24, 1975/JYAISTHA 3, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 24th May, 1975

S.O. 228(E).—Whereas in the opinion of the Central Government, it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike in any of the Railway Services in India would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes in the said Railway Services;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits any strike in connection with any industrial dispute in the Railway Services in India for a period of six months with effect from the 26th May, 1975.

[No. F.S. 42025/12/74-DK(1A)]

N. P. DUBE, Secy.

अम मंत्रालय**आदेश**

नई दिल्ली, 24 मई, 1975

का० प्रा० 228 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

और यतः भारत में किसी भी रेल सेवा में कोई हड़ताल समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी ; उक्त रेल सेवाओं में हड़तालों को रोकना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः, अब, भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत में रेल सेवाओं में किसी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित किसी हड़ताल को एतद्वारा 26 मई, 1975 से छः मास की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करती है ।

[सं० एफ० एस० 42025/12/74-डी के (1ए)]

नि० प्र० दुबे, सचिव ।